

दिनांक 26.07.2019 को प्रातः 12:30 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री प्रदीप गोदारा, भा0प्र0से0, आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
2. श्री महेश कुमार, ह0सि0से0, नगराधीश, रोहतक।
3. श्री कृष्ण कुमार, आर.ओ., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
4. श्री नारायण चन्द, उप पुलिस अधीक्षक, रोहतक।
5. डा0 अनिल बिरला, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
6. डा0 टी.एस. बागड़ी, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
7. श्री सुनील, कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक।
8. श्री भानु प्रकाश, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, प्रान्तीय मण्डल-2, रोहतक।
9. श्री परांक, गर्ग, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, प्रान्तीय मण्डल-1, रोहतक।
10. श्री आशिष कुमार, सचिव, नगर पालिका, महम।
11. श्री अरुण नांदल, सचिव, नगर पालिका कलानौर।
12. श्रीमती सुमन लता, सचिव, नगर पालिका, सांपला।
13. श्री अमरदीप, IEO for GM DIC, रोहतक।
14. श्रीमति कोमिला, सहायक सचिव, मार्केट कमेटी, रोहतक।
15. श्री राम प्रसाद, निजी सहायक O/o जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
16. श्री प्रमिन्दर वर्मा, DMC, PGIMS, रोहतक।
17. श्री एच.एस. नारंग, अधीक्षक, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
18. श्री सतीश, एस.डी.ई., महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
19. श्री सत्येन्द्र, एस.डी.ओ., सिंचाई विभाग, सांपला।
20. श्री अरुण कुमार, एस.डी.ओ., लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक।
21. श्री राजबीर सिंह, एस.डी.ओ., हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
22. श्री अमित दलाल, एस.डी.ओ., हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, रोहतक।
23. श्री आर.के. डागर, प्रबंधक, (IA), HSIIDC, IMT, रोहतक।
24. श्री रमेश कुमार, AM (UT), HSIIDC, रोहतक।
25. श्री कृष्ण दहिया, भू-अधिकारी-कम-कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम रोहतक।
26. डा0 ओम आहुजा, V.S., पशुपालन विभाग, रोहतक।
27. श्री अशोक राठी, AIPRO, रोहतक।

बैठक में सभी का स्वागत करते हुए दिनांक 08.07.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की प्रगति की समीक्षा की गई:-

1. बैठक में नगराधीश रोहतक ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि माननीय NGT व Waste Management Rules की पालना के लिए पहले निम्नलिखित बैठक आयोजित की जा चुकी है:-

1. दिनांक 12.04.2019
2. दिनांक 29.04.2019
3. दिनांक 09.05.2019
4. दिनांक 28.05.2019
5. दिनांक 18.06.2019


6. दिनांक 08.07.2019

2. दिनांक 8.7.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में नगर निगम रोहतक व महम, कलानौर व सांपला, नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:-

नगर निगम / नगर पालिका	Door to Door	Source Segregation	Plastic Waste Challan	Challan Amount	Malba, Garbage, Dustbins	Challan Amnout	C & D Waste	Challan Amount
रोहतक	100 %	70 %	73	85600/-	219	75000/-	24	36000/-
सांपला	100 %	नगर पालिका द्वारा डोर-टू-डोर कलैक्शन हेतु प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों में गीला सूखा कूड़ा एकत्रित करने के लिए कम्पार्टमेंट किए हुए हैं व नगर पालिका द्वारा टीम गठित करके वार्ड वार्डज घर-2 जाकर आमजन को गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित करने बारे जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 450 यूनिट द्वारा गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित किया जा रहा है।	17	8500/-	4	700/-	8	800/-
कलानौर	100 %	10 %	27	13500/-	0	0	5	25000/-
महम	100 %	20%	11	92000/-	0	0	0	0

3. नगर निगम रोहतक ने प्लास्टिक वेस्ट के समाधान के लिए Recycler को रजिस्टर्ड किया है, यह शहर में स्थित सभी कबाड़ियों/कूड़ा बीनने वालों से प्लास्टिक की बोतलों को खरीदता है, उसके पश्चात उन बोतलों को Compress कर उनके बंडलों को दिल्ली पुनः दाने के निर्माण के लिए भेजता है।
4. नगर निगम रोहतक ने C & D Waste के डिस्पोजल के लिए सुनारियां जेल रोड पर 8 एकड़ जमीन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जगह पर नगर निगम रोहतक क्षेत्र के सभी प्रकार का C & D Waste डाला जायेगा। इस वेस्ट को Process करने के लिए भी ई-निविदा आमन्त्रित की जा रही है।
5. नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 30.07.2019 को सांय 3.00 बजे उपायुक्त कार्यालय सभागार में Bulk Waste Generator के लिए Wet Waste Processing की विस्तृत जानकारी, उनके समाधान के लिए बैठक का आयोजन रखा है।
6. उपायुक्त, रोहतक ने समीक्षा के दौरान निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए:-
1. सभी कार्यालय अध्यक्ष अपनी-अपनी बैठकों, आयोजन में प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए मिट्टी की बोतलों या कांच की बोतलों का प्रयोग किया जाये।
 2. सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों, भंडारों आदि में प्लास्टिक डिस्पोजल का प्रयोग न हो, इसके लिए नगर निगम, नगर पालिकाएं उनका नियमित रूप से निरीक्षण करें व उनके लिखित में भी दिशा-निर्देश जारी करें।

3. सभी होटल, बैंकटहाल, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों, मार्केट कमेटी अपने-अपने संस्थान परिसर में ही Process करना, उसकी खाद बनाना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 31.07.2019 के पश्चात इस प्रक्रिया को न अपनाने वाले संस्थानों के चालान काटे जाएं व आवश्यक कार्रवाई की जाए।
4. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक के प्रतिनिधि (उपमण्डल अभियन्ता) को निर्देश दिए गए कि भविष्य में बैठक में विभागाध्यक्ष ही उपस्थित हों। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.07.2019 तक पुराने आई.टी.आई. ग्राउण्ड में पड़े C & D Waste को उठवाकर वहां पर सफाई करवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्रवाई न करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर प्रतिदिन नियमानुसार जुर्माना नगर निगम द्वारा लगाया जायेगा।
5. लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक के प्रतिनिधि (कार्यकारी अभियन्ता) को निर्देश दिए गए कि पुराने बस स्टैंड क्षेत्र व पुराने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में पड़े मलबे को दिनांक 30.07.2019 तक साफ करवाएं अन्यथा नगर निगम रोहतक द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
6. अध्यक्ष महोदय ने जिले के सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए गए कि उनके कार्यालयों में गीले व सूखे कूड़े के लिए हरे व नीले रंग के कूड़ेदान दिनांक 30.07.2019 तक रखे जाने सुनिश्चित करें इसके अतिरिक्त उनकी प्रतिदिन सफाई भी सुनिश्चित की जाए।
7. बैठक में आयुक्त, नगर निगम रोहतक ने सभी सम्बोधित करते हुए उन्हें अपने-अपने घरों में गीले कूड़े को अलग एकत्रित करने व उसे Process करने के लिए प्रेरित किया। सभी Bulk Waste Generator को गीले कूड़े के समाधान के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने घरों, संस्थानों के अतिरिक्त अपने आस-पास व मित्रों को भी गीले कूड़े से खाद बनाकर उसे अपने घर के किचन गार्डन या पार्क में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें।
8. बैठक में मार्केट कमेटी महम, सांपला की अनुपस्थिति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
9. बैठक में अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने C & D Waste के लिए साईट निर्धारित न करने, गीले कूड़े के लिए कम्पोस्ट पीट न बनाने पर असन्तोष व्यक्त किया तथा निर्देश दिए कि दिनांक 31.07.2019 तक उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रतिबन्धित प्लास्टिक के लिए सभी अधिकृत अधिकारियों को चालान करने, चालान की राशि नगर निगम में जमा करवाने के निर्देश दिए गए।
10. अध्यक्ष महोदय ने अन्त में निर्देश दिए कि जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिनांक 02.08.2019 तक अपने सभी विद्यालयों (सरकारी व गैर सरकारी) में विद्यार्थियों को गीले व सूखे कूड़े के विषय में ज्ञान देना, उन्हें अपने-अपने घरों में अलग-अलग एकत्रित करने, प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग न करने व पौधारोपण के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय अनुसार चलाई गई गतिविधियों की दिनांक 2.8.2019 तक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।


 उपायुक्त,
 रोहतक

पृ० क्रमांक LFA/1363-87

दिनांक 26-07-2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGT द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:-

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. नगराधीश, रोहतक।
5. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
8. CMO, रोहतक।
9. R.O., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
10. डा० सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।
14. GM, HSIIDC, Rohtak.
15. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
16. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
19. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
20. कार्यकारी अभियन्ता - I & II, नगर निगम रोहतक।
21. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
22. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
23. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
24. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
25. सचिव, मार्केट कमेटी, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।

पृ० क्रमांक LFA/1388-96

दिनांक 26-07-2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्डीगढ़।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
4. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।
6. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
7. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
8. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।